लोकतंत्र की आत्मा है - संवाद

हरियाणा संवाद

पाक्षिक 16-31 जुलाई 2022 www.haryanasamvad.gov.in अंक -46

"व्यक्ति के अच्छे कार्यों से उसके आभामंडल का निर्माण होता है।"
: विनोबा भावे

प्रदेश में 5000 नए स्टार्टअप स्थापित करने का लक्ष्य 3

प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए नई पहल 5

गीता की प्रासंगिकता सदैव रहेगी 8

हर घर तिरंगा

देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने के लिए एक अनोखी पहल

आज़ादी का अमृत महोत्सव

आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर देशभर में 'आजादी का अमृत महोत्सव' मनाया जा रहा है। इस उत्सव के तहत प्रदेश में 11 से 17 अगस्त तक हर घर पर तिरंगा फहराया जाएगा। राज्य सरकार ने इस अभियान को जन अभियान बनाने का आह्वान किया है। प्रशासनिक स्तर पर इसके प्रयास प्रारम्भ हो चुके हैं।

मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा कि यह एक राष्ट्रीय पर्व है। देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने और देश के प्रति अपने जज्बे को सलाम करने के लिए यह अभियान शुरू किया गया है। इसी जज्बे के साथ सभी हरियाणावासी 'हर घर तिरंगा' अभियान के तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराकर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने का संकल्प करेंगे।

प्रदेश के सभी जिला उपायुक्तों को निर्देश दिए गए हैं कि वे इस अभियान में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों, जनप्रतिनिधियों, जिला पार्षदों व निकाय प्रतिनिधियों आदि के साथ वार्ता करें। हर जिले में तिरंगे की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।

मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव तथा सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक डॉ. अमित अग्रवाल ने अभियान की रूपरेखा रखते हुए कहा कि तिरंगा भारत की आन-बान-शान है। इसलिए संयुक्त प्रयासों से हमें इस अभियान को सफल बनाना है तथा नागरिकों में देशप्रेम की भावना का संचार करना है।

प्रमुख केंद्रों पर उपलब्ध होंगे तिरंगे

ग्रामीण क्षेत्र में विकास एवं पंचायत विभाग को तिरंगे की उपलब्धता और वितरण के लिए नोडल विभाग की जिम्मेवारी दी गई है। पोस्ट ऑफिस, पंचायत घर, सामान्य सेवा केंद्रों, आंगनवाड़ी केंद्रों इत्यादि पर तिरंगे उपलब्ध करवाए जाएंगे। तिरंगे बनाने में स्वयं सहायता समूहों के मदद ली जाएगी। शहरी क्षेत्रों में शहरी स्थानीय निकाय विभाग तिरंगे की उपलब्धता और वितरण की जिम्मेदारी संभालेगा।

ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और उप-केंद्रों पर जन जागरूकता के लिए पम्फलेट, बैनर आदि के माध्यम से अभियान की जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा, उचित मूल्य की दुकानों पर भी तिरंगे की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।

विद्यार्थियों की विशेष भागीदारी के लिए स्कूलों व कॉलेजों में भी विशेष सभाओं का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा, पुलिस द्वारा विशेष तौर पर तिरंगा मार्च निकाला किया जाएगा, ताकि नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। हरियाणा परिवहन की बसों पर 'हर घर तिरंगा' अभियान के संदेश मुद्रित होंगे।

अहम मसलों का होगा समाधान

गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक में मंथन

विशेष प्रतिनिधि

उत्तर क्षेत्रीय परिषद की 30वीं बैठक का आयोजन हुआ। जिसमें केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के अलावा हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारीलाल पुरोहित, लद्दाख के उपराज्यपाल आर के माथुर, दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शामिल हुए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उक्त बैठक सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के साथ-साथ अंतर्राज्यीय तथा केन्द्र व राज्यों के बीच विभिन्न मुद्दों को समयबद्ध ढंग से सुलझाने में सहायक सिद्ध होगी।

एसवाईएल जल बंटवारा: मुख्यमंत्री ने कहा कि सतलुज-यमुना लिंक नहर के निर्माण कार्य को पूरा करना हरियाणा और पंजाब राज्यों के बीच पुराना मसला है। यह नहर न बनने के कारण रावी, सतलुज और ब्यास का अधिशेष, बिना चैनल वाला पानी पाकिस्तान में चला जाता है। हरियाणा को भारत सरकार के 24 मार्च, 1976 के आदेशानुसार रावी-ब्यास के सरप्लस पानी में भी 3.50 मिलियन एकड़ फुट हिस्सा आबंटित किया गया है। एस.वाई.एल. मुद्दे को हल करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर पंजाब आगे नहीं बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि हरियाणा के लिए यह पानी अत्यंत आवश्यक है।

भाखड़ा से जलापूर्ति: मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा को भाखड़ा मेन लाइन नहर से भी लगभग 700-1000 क्यूसेक पानी कम मिल रहा है। भागीदार राज्यों के प्रमुख अभियंताओं और बी.बी.एम.बी. के अधिकारियों की एक कमेटी ने पाया है कि बी.एम.एल. के संपर्क बिंदु आर.डी. 390000 पर हरियाणा को पानी का कम वितरण किया गया है। बीबीएमबी में सदस्यों की नियुक्ति के संदर्भ में मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा राज्य से सदस्य (सिंचाई) का नामांकन पंजाब के सदस्य (विद्युत) की तर्ज पर पिछली परंपरा अनुसार ही जारी रखा जाए।

पीयू में हरियाणा का हिस्सा: मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब विश्वविद्यालय में हरियाणा के हिस्से को बहाल किया जाए और चण्डीगढ़ के साथ लगते हरियाणा के कॉलेजों की सम्बद्धता भी इस विश्वविद्यालय से की जाए। अनुरोध किया गया है कि पंजाब विश्वविद्यालय में हरियाणा राज्य के हिस्से को बहाल करने के लिए नियमों में संशोधन किया जाए।

राष्ट्रीय राजमार्ग: हरियाणा को हिमाचल प्रदेश से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग-105 के शीघ्र निर्माण के लिए सरकार प्रतिबद्ध हैं। इस परियोजना की लंबाई 31.71 किलोमीटर है, जिसमें से 13.30 किलोमीटर हरियाणा में पड़ता है। हम इस परियोजना को पूरा करने में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का पूरा सहयोग कर रहे हैं। इस परियोजना के लिए 18.6399 हैक्टेयर निजी भूमि का अधिग्रहण जिला राजस्व अधिकारी, पंचकूला द्वारा किया जा चुका है। भूमि का कब्जा लेने उपरान्त काम शुरू कर दिया गया है।

इको-सेंसिटिव ज़ोन: मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में सुखना अभ्यारण्य के आसपास इको-सेंसिटिव जोन में शामिल किए जाने वाले क्षेत्र में लगभग 72 प्रतिशत पहले से ही भारतीय वन अधिनियम के तहत अधिसूचित वन क्षेत्र है। लगभग 9 प्रतिशत रक्षा क्षेत्र है, इसलिए राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित है। लगभग 19 प्रतिशत निजी क्षेत्र है, जो पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिसूचित है। वृक्षों की कटाई से संबंधित चंडीगढ़ की ओर से जताई गई चिंता हरियाणा के संदर्भ में सही नहीं है।

अतिरिक्त विधानसभा भवन की तैयारी

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि हरियाणा के अतिरिक्त विधानसभा भवन के लिए चंडीगढ़ में हरियाणा को जमीन दी जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस घोषणा के लिए समस्त हरियाणा वासियों की ओर से गृहमंत्री का आभार प्रकट किया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा विधानसभा के लिए नए अतिरिक्त भवन के लिए भूमि की पहचान कर ली गई है। जल्द ही इसका काम शुरू हो जाएगा। दरअसल वर्ष 2026 में नया परिसीमन प्रस्तावित है, जिसके आधार पर वर्ष 2029 में लोकसभा व विधानसभा चुनाव होंगे। अनुमान है कि नये परिसीमन में हरियाणा की जनसंख्या के अनुसार विधानसभा क्षेत्रों की संख्या 126 तथा लोकसभा क्षेत्रों की संख्या 14 होगी। हरियाणा विधानसभा में इस समय 90 विधायक हैं।

पंचकूला में निफ्ट का उद्घाटन

पंचकूला में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना हो गई। देश का यह 17वां कैम्पस होगा। इस संस्थान की आधारशिला 29 दिसम्बर, 2016 को तत्कालीन केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा रखी गई थी। इस संस्थान की स्थापना केन्द्रीय कपड़ा मंत्रालय और निफ्ट, दिल्ली के सहयोग से की गई है। 10.45 एकड़ भूमि पर स्थापित यह परियोजना 133.16 करोड़ रुपये की लागत से पूरी की गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की उपस्थित में केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने संस्थान का उद्घाटन किया।

मनोहर लाल ने कहा कि निफ्ट की नीति के अनुसार, इस संस्थान में 20 प्रतिशत सीटें हरियाणा अधिवासियों के लिए आरक्षित होंगी। इस संस्थान में फैशन डिजाइन/टैक्सटाइल डिजाइन, अपैरल प्रोडक्शन के क्षेत्रों में चार वर्षीय डिग्री कोर्स और फैशन टैक्नॉलोजी, डिजाइन और फैशन मैनेजमेंट में दो वर्षीय मास्टर डिग्री कोर्स होंगे। इसके अलावा, एक साल और छह महीने की अवधि के सर्टिफिकेट प्रोग्राम भी होंगे। हालांकि राजकीय बहुतकनीकी संस्थान, पंचकूला में निफ्ट के अस्थायी परिसर में लघु अवधि के पाठ्य' म शैक्षणिक सत्र 2019-20 से शुरू कर दिए गए थे।

वर्तमान में कुल 259 छात्रों के साथ तीन यू.जी. और दो पी.जी. पाठ्यक्रम संचालित हैं। इसके अलावा, शैक्षणिक सत्र 2022-23 से एक और यू.जी. कोर्स शुरू किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस संस्थान की स्थापना होने के बाद फैशन डिजाइन के क्षेत्र में कैरियर बनाने के इच्छुक विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा।

संपादकीय

नया विधानसभा परिसर

भले ही द्विपक्षीय-विवादों में हरियाणा को अधूरा न्याय मिला, लेकिन हरियाणा ने कभी उग्र तेवर नहीं अपनाए। वर्तमान विधानसभा परिसर में यदि हरियाणा विधानसभा सचिवालय ने अपने निर्धारित भाग के अनुसार अतिरिक्त स्थान मांगा तो भी नहीं मिला।

अब जब चंडीगढ़ में ही अलग विधानसभा परिसर के लिए स्थान मांगा गया है तो इस पर आपत्तियां जताई जा रही हैं। यह उचित नहीं है। यह तर्क भी बेतुका है कि इस तरह से चंडीगढ़ पर हरियाणा का दावा कमजोर पड़ेगा।

राजधानी, सचिवालय, उच्च न्यायालय, एसवाईएल नहर आदि कई अंतर्राज्यीय विवाद अभी समाधान के मोहताज हैं। लगभग छह दशक के लंबित विवादों के चलते, आवश्यकता के अनुसार नवनिर्माण पर रोक लगाने की मांग उचित नहीं है।

पंजाब-हरियाणा दोनों में सांझी विरासत का न्यायोचित बंटवारा अभी तक नहीं हो पाया। हिंदी भाषी क्षेत्रों पर दावा और एसवाईएल को लेकर पड़ौसी राज्य की छेड़छाड़ के बावजूद हरियाणा ने इस दिशा में कोई उग्र तेवर नहीं अपनाया क्योंकि वर्तमान नेतृत्व की प्राथमिकता नवनिर्माण को लेकर है। अब इस दिशा में नवनिर्माण शीघ्र ही आगे बढ़ने वाला है तो इसे चंडीगढ़ पर हरियाणा के दावे की कमजोरी को जोड़ना अनुचित है।

प्रदेश में यदि अपना विधानसभा परिसर होता है तो उससे विधायिका की अनेक समस्याओं का समाधान होगा और निर्माण कला में प्रदेश की संस्कृति भी झलकेगी।

इसके साथ ही 'पिछड़ा वर्ग आयोग' के नए सिरे से गठन का भी स्वागत किया जाना चाहिए। यह घोषणा कुरुक्षेत्र की भूमि पर स्वयं मुख्यमंत्री द्वारा बाबा लखीशाह बंजारा समारोह में की गई हैं।

-डॉ. चन्द्र त्रिखा

बुढ़ापा पेंशन: आवेदन के लिए नहीं होगी भागदौड़

वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना की प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। सम्मान भत्ते के आवदेन के लिए बुजुर्गों को नागरिक सेवा केन्द्र, अंत्योदय केंद्र या किसी अन्य सरकारी कार्यालय में चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।

हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण वृद्धावस्था सम्मान भत्ते के लिए पात्र व्यक्तियों का इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप डेटा एकत्र करेगा और विभाग की योजना के तहत डेटा ट्रांसफर प्रक्रिया के माध्यम से पूरे विवरण के साथ एक सूची तैयार करेगा। सूची में ऐसे व्यक्तियों को शामिल किया जाएगा जिनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक हो और पति अथवा पत्नी की आय एक साथ प्रति वर्ष 2 लाख रुपए से अधिक न हो। यह भी कि वह कम से कम पिछले 15 वर्षों से हरियाणा का निवासी हो।

हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण द्वारा व्यक्ति की आयु, उसकी आय की स्थिति, निवास प्रमाण और बैंक खाते के विवरण की जानकारी के बाद हरियाणा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को और किसी प्रकार के सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी। यदि विभाग के संज्ञान में सूचना/सत्यापन की सत्यता के संबंध कोई विशिष्ट तथ्य आता है तो उसे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा आगे की जांच के लिए हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण को अग्रेषित किया जाएगा।

योजना के तहत व्यक्तियों की पात्रता निर्धारित करने के बाद वृद्धावस्था सम्मान भत्ता प्राप्त करने के लिए उनकी सहमति प्राप्त करने हेतु संबंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी (डीएसडब्ल्यूओ) के कार्यालय या किसी अन्य अधिकृत सरकारी प्रतिनिधि द्वारा इच्छित लाभार्थियों से संपर्क करेगा। जिला समाज कल्याण अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि संबंद्ध व्यक्ति योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार कोई अन्य पेंशन नहीं ले रहा है। अपेक्षित लाभार्थियों की सहमति एवं पूछताछ करने उपरांत जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, संबंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के पोर्टल पर लाभार्थियों के पक्ष में वृद्धावस्था सम्मान भत्ता की ऑनलाइन स्वीकृति प्रदान करेगा और विशिष्ट पेंशन पहचान संख्या अंकित की जाएगी ।

इस प्रकार, वरिष्ठ नागरिकों को सीएसई/अंत्योदय केंद्र या किसी भी सरकारी कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं होगी और वृद्धावस्था सम्मान भत्ते के पात्र वरिष्ठ नागरिकों को बिना किसी असुविधा के उनके घर द्वार पर ही पात्रता की स्वीकृति मिल जाएगी।

सलाहकार संपादक : डा. चंद्र त्रिखा
सह संपादक : मनोज प्रभाकर
संपादकीय टीम : संगीता शर्मा, सुरेंद्र मलिक
संपादन सहायक : सुरेंद्र बांसल
चित्रांकन एवं डिज़ाइन : गुरप्रीत सिंह
डिजिटल सपोर्ट : विकास डांगी

हरियाणा में उद्योगों का तेजी से हो रहा विस्तार

प्रदेश को 'एमएसएमई नेशनल अवार्ड'

हरियाणा सरकार द्वारा एमएसएमई के क्षेत्र में किए गए उल्लेखनीय कार्यों के लिए प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर तीसरा स्थान हासिल हुआ है। नई दिल्ली में भारत सरकार के एमएसएमई मंत्रालय द्वारा उद्यमी-भारत कार्यक्रम के तहत आयोजित 'एमएसएमई नेशनल अवार्ड' समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को यह अवार्ड दिया गया। एमएसएमई के क्षेत्र में हरियाणा देश के टॉप-3 राज्यों में शामिल है। कार्यक्रम में हरियाणा की औद्योगिक नीतियों की काफी तारीफ हुई।

इस अवसर पर हरियाणा के दो एमएसएमई को भी अवार्ड मिला है। इनमें डॉ. हरजिंद्र कौर तलवार को महिला वर्ग के स्मॉल सर्विस इंटरप्राइज में प्रथम तथा रिषभ गुप्ता को मैनुफैक्चरिंग माईक्रो इंटरप्राइज की ओवरऑल कैटेगरी में तीसरे स्थान का अवार्ड मिला।

डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि बड़े उद्योगों के साथ-साथ हरियाणा छोटे एवं लघु उद्योगों के मामले में भी टॉप परफोर्मिंग स्टेट्स में बना हुआ है। राज्य सरकार का शुरू से संकल्प रहा है कि प्रदेश में नए उद्योग लगें, उनका विकास हो और युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार मिलें।

एमएसएमई अर्थव्यवस्था की रीढ़

हरियाणा में पिछले कुछ वर्षों में तेजी से आर्थिक विकास हुआ है। इसमें हमारे एमएसएमई का विशेष योगदान रहा है। प्रदेश में लगभग 9.7 लाख एमएसएमई हैं जो बढ़ती अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। राज्य सरकार ने एमएसएमई के लिए कई नई योजनाएं और पहल आंरभ की हैं ताकि उनको संस्थागत सलाह और सुविधा प्रदान की जा सके, साथ ही एक मजबूत नीतिगत ढांचा भी बनाया जा सके।

हरियाणा सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में एमएसएमई का समर्थन करने के लिए एक समर्पित विभाग 'एमएसएमई निदेशालय' की स्थापना की हुई है, इससे बाजार, प्रौद्योगिकी और कुशल श्रमिकों तक पहुंच आसान हुई है।

'वोकल फॉर ग्लोबल' के लिए 'पदमा'

हरियाणा ने 'वोकल फॉर ग्लोबल' के सिद्धांत पर चलते हुए अपनी तरह का एक प्रोग्राम 'पदमा' शुरू किया है जिसका मुख्य उद्देश्य खंड स्तर पर एक गतिशील, आत्मनिर्भर और संपन्न औद्योगिक बुनियादी ढांचा तैयार करना है। हरियाणा सरकार एमएसएमई के विकास के लिए भारत सरकार के क्लस्टर विकास दृष्टिकोण पर पूरा फोकस कर रही है। भारत सरकार की एमएसई-सीडीपी योजना पर जोर देने के अलावा हरियाणा अपनी तरह की पहली 'राज्य मिनी क्लस्टर योजना' भी लेकर आया है। अब तक, एमएसई-सीडीपी योजना के तहत हरियाणा से 140 करोड़ रुपए की लागत के 9 क्लस्टरों को मंजूरी दी गई है। इसमें से भारत सरकार की ओर से 58 करोड़ रुपए की सहायता दी गई है। जबकि, राज्य मिनी क्लस्टर विकास योजना के तहत प्रदेश में 43 एमएसएमई कलस्टर की विभिन्न पहलें, जिनकी कीमत 119 करोड़ रुपए से अधिक है, आरंभ की गई हैं। राज्य सरकार के इन व्यापक क्लस्टर विकास प्रयासों से हरियाणा में 8,000 से अधिक एमएसएमई लाभान्वित हुए हैं।

हरियाणा ईज़ ऑफ डूईंग बिजनेस में अव्वल

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी 'स्टेट ईज़ ऑफ डूईंग बिजनेस' के पांचवें संस्करण में हरियाणा को टॉप अचीवर्स कैटेगरी में होने की घोषणा हुई है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा उद्योग एवं आंतरिक व्यापार के प्रोमोशन के लिए गठित विभाग (डीपीआईआईटी) 'स्टेट ईज़ ऑफ डूईंग बिजनेस' का पांचवां संस्करण नई दिल्ली में भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की उपस्थिति में जारी किया। इस कैटेगरी में हरियाणा के अलावा टॉप अचीवर्स कैटेगरी में आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, पंजाब, तमिलनाडु और तेलंगाना शामिल है।

उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के प्रधान सचिव विजयेंद्र कुमार ने बताया कि डीपीआईआईटी ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) के समन्वय से देश में कारोबारी माहौल में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इन सुधारात्मक कदमों के कार्यान्वयन और फीडबैक के आधार पर रैंक किया गया है। वर्ष 2020 की कार्य योजना में 15 क्षेत्रों में 301 सुधार बिंदु शामिल थे। इन सुधारों के कार्यान्वयन में हरियाणा ने 99+ प्रतिशत का स्कोर हासिल किया है। इसके अतिरिक्त, निर्यात तैयारी सूचकांक (भूमि बंद श्रेणी)-2021 में राज्य को पहला तथा 'लॉजिस्टिक्स इज एक्रोस डिफरेंट स्टेटस सर्वे'-2021 में दूसरा स्थान मिला है।

राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व व उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के मागदर्शन में राज्य में निवेश के माहौल में सुधार के लिए कई प्रमुख कदम उठाए गए, जिनमें नई औद्योगिक नीति 'हरियाणा उद्यम और रोजगार नीति 2020' विशेष रही। इन नीति का उद्देश्य राज्य में 5 लाख नौकरियां पैदा करना, एक लाख करोड़ से अधिक का निवेश आकर्षित करना और निर्यात को दोगुना करके 2 लाख करोड़ करना है। हरियाणा में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय ख्याति के कई निवेश-प्रस्तावों जैसे मारुति, फाइवले, ग्रासिम पेंट्स, एटीएल बैटरीज, आरती ग्रीन टेक लिमिटेड, एम्पेरेक्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, एनरिच एग्रो फुड प्रोडेक्टस, जीएलएस पोलिफिल्मस आदि ने रुचि दिखाई है।

माता मनसा देवी मंदिर पंचकूला की तर्ज़ पर बेरी स्थित श्री माता भीमेश्वरी देवी मंदिर के लिए श्राइन बोर्ड बनाए जाने पर मंजूरी हुई है। मंदिर से जुड़ा यह केस न्यायालय में विचाराधीन है।

किसान गेहूं व धान की अपेक्षा फलों के बागों से अधिक मुनाफ़ा ले सकते हैं। विशेष अनुदान योजना के तहत अनुदान 7,200 रुपए से बढ़ाकर 19,500 रुपए प्रति एकड़ प्रथम वर्ष में कर दिया गया है।

प्रदेश में 5000 नए स्टार्टअप स्थापित करने का लक्ष्य

संगीता शर्मा

हरियाणा सरकार ने राज्य में नए स्टार्टअप्स स्थापित करने को सुगम बनाने के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण अपनाया है। हरियाणा को एक प्रमुख निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करने के लिए व्यापक नीतिगत सुधार किए गए हैं। भारत के 101 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स में से कम से कम 14 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स (कम से कम एक बिलियन यूएस डॉलर वैल्यूएशन के) हरियाणा के माध्यम से स्थापित हैं। हरियाणा सरकार ऐसे युवा उद्यमियों को एक मज़बूत नीति पारिस्थितिकी तंत्र, मज़बूत बुनियादी ढांचा और उदार नियामक मानदंड प्रदान करके उनकी क्षमता को गति देने की इच्छुक है।

सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार विभाग, हरियाणा द्वारा तैयार की गई एक नई हरियाणा राज्य स्टार्टअप नीति 2022 को मंजूरी दी गई है। इस नीति के माध्यम से, राज्य सरकार का उद्देश्य हरियाणा में जीवंत स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना और उसका पोषण करना है। अब उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी), भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई भी स्टार्टअप इकाई, इसके निगमन/पंजीकरण की तारीख से दस साल की अवधि तक और जिसका वार्षिक कारोबार 100 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, वे हरियाणा में इस नई नीति के तहत प्रमुख राजकोषीय और गैर-राजकोषीय लाभ लेने के लिए पात्र बन जाएंगे।

इसके अलावा, डीपीआईआईटी द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य स्टार्टअप जिनका पंजीकृत कार्यालय देश में है या हरियाणा के बाहर भी है और जब तक वे हरियाणा में संचालित सरकारी स्वामित्व वाले/समर्थित इन्क्यूबेटरों के माध्यम से काम कर रहे हैं, वे नई नीति के तहत केवल गैर-राजकोषीय लाभों का लाभ उठाने के लिए पात्र होंगे। इन लाभों में सब्सिडाइज्ड इनक्यूबेशन स्पेस, हरियाणा सरकार की निविदाओं में भागीदारी के लिए उदार मानदंड, मेंटरशिप कार्यक्रमों में भागीदारी और अन्य स्टार्टअप विशिष्ट कार्यक्रम शामिल हैं।

वर्तमान में, 3910 हरियाणा स्थित स्टार्टअप्स को 15 जून, 2022 तक उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। इस संशोधित नीति के कार्यान्वयन और अन्य संस्थागत गतिविधियों की निगरानी के लिए सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार विभाग में एक स्टार्टअप हरियाणा प्रकोष्ठ की स्थापना की जा रही है।

यह अनुमान है कि अगले पांच वर्षों में (नीति अवधि के भीतर) हरियाणा में कम से कम 5,000 नए स्टार्टअप स्थापित किए जाएंगे, जो 75000 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोज़गार प्रदान करेंगे।

नई स्टार्टअप नीति के प्रमुख प्रोत्साहन/लाभ

वित्तीय प्रोत्साहन:

1. **नेट एसजीएसटी प्रतिपूर्ति:** सात वर्षों के लिए 50 प्रतिशत एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति।
2. **लीज रेंटल सब्सिडी :** स्टार्टअप्स के लिए पांच लाख रुपए तक लीज रेंटल सब्सिडी की प्रतिपूर्ति होगी।
3. **स्टार्टअप के लिए सीड फंडिंग:** 'ए' श्रेणी के ब्लॉक में 100 स्टार्टअप, 'बी' श्रेणी के ब्लॉक में 250 स्टार्टअप, 'सी' श्रेणी के ब्लॉक में 750 स्टार्टअप और 'डी' में 1,000 स्टार्टअप के लिए प्रति स्टार्टअप 10 लाख रुपए तक की सीड फंडिंग की जाएगी।
4. **पेटेंट लागत:** स्टार्टअप्स को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने पेटेंट पंजीकरण के लिए वास्तविक व्यय की 100 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति की जाएगी जो अधिकतम 25 लाख रुपए होगी।
5. **क्लाउड स्टोरेज के लिए प्रतिपूर्ति:** हरियाणा स्थित डेटा केंद्रों पर क्लाउड कंप्यूटिंग/स्टोरेज के लिए किए गए खर्च की 75 प्रतिशत प्रतिपूर्ति की जाएगी जो पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रति स्टार्टअप प्रति वर्ष 2.5 लाख रुपए तक होगी।
6. **एक्सलरेशन कार्य मों में सहायता:** राष्ट्रीय एक्सलरेशन कार्य मों में भाग लेने के लिए स्टार्टअप को 2.5 लाख रुपए और अंतरराष्ट्रीय एक्सलरेशन कार्यक्रमों के लिए पांच लाख रुपए तक की सहायता प्रदान की जाएगी।

इन्क्यूबेटरों को वित्तीय प्रोत्साहन

1. **पूंजीगत सब्सिडी:** इनक्यूबेटरों की स्थापना के लिए गवर्मेंट होस्ट इंस्टीट्यूट को दो करोड़ रुपए तक तथा निजी होस्ट इंस्टीट्यूट को एक करोड़ रुपए तक की पूंजी अनुदान दिया जाएगा।
2. **सलाह सहायता:** परामर्श सहायता के लिए सरकार के स्वामित्व/समर्थित/प्रायोजित इन्क्यूबेटरों को 2.5 लाख रुपए तक प्रति इन्क्यूबेटर की वित्तीय सहायता दी जाएगी जो प्रतिवर्ष अधिकतम 25 लाख रुपए तक होगी।
3. **रेंटल चार्ज पर प्रतिपूर्ति:** इनक्यूबेटर द्वारा लीज रेंट के रूप में किये गये भुगतान के लिए तीन साल की अवधि के लिए 50 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति की जाएगी।
4. **स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण प्रतिपूर्ति:** भूमि/कार्यालय स्थान/आईटी भवन की खरीद/पट्टे पर स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क की शत-प्रतिशत प्रतिपूर्ति होगी।
5. **मेले/प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए सहायता:** उद्योग संघों/इनक्यूबेटरों/सरकारी विभागों ने स्टार्टअप्स के एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मेले/प्रदर्शनी में किया या इस तरह के मेले/प्रदर्शनी/सेमिनारों के आयोजन के लिए वास्तविक आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी जो अधिकतम 50 लाख रुपए तक होगी।
6. **स्टार्टअप प्रतियोगिता सहायता:** इनक्यूबेटर को राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों में स्टार्टअप प्रतियोगिता उत्सव के आयोजन के लिए प्रति आयोजन 20 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी।
7. **बिजली शुल्क में छूट :** इनक्यूबेटर को 'डी' श्रेणी के ब्लॉक में 12 साल के लिए व 'सी' श्रेणी के ब्लॉक में दस साल और 'बी' श्रेणी के ब्लॉक में सात साल के लिए बिजली शुल्क में शत-प्रतिशत छूट के पात्र होंगे।

स्टार्टअप नीति 2022 में कई नए प्रोत्साहन

नया स्टार्टअप वेयरहाउस/इनोवेशन कैंपस: पंचकूला, हिसार और अन्य संभावित स्थानों पर आईटी स्टार्टअप वेयरहाऊस की स्थापना हेतु पूंजीगत व्यय के लिए चार करोड़ रुपए तथा तीन साल के आवर्ती व्यय के लिए एक करोड़ रुपए की वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

1. **नया मोबाइल एप्लिकेशन विकास केंद्र:** पंचकूला, हिसार और 'सी' और 'डी' ब्लॉक के अन्य संभावित स्थानों पर नया मोबाइल एप्लिकेशन विकास केंद्र की स्थापना के लिए पूंजीगत व्यय के लिए चार करोड़ रुपए तथा तीन साल के लिए आवर्ती व्यय के लिए एक करोड़ रुपए की वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
2. **विश्वविद्यालयों और अन्य सरकारी संस्थानों में इनक्यूबेशन केंद्र:** इन्क्यूबेशन सेंटर बनाने के लिए प्रति इनक्यूबेटर के लिए 50 लाख रुपए तथा पांच साल के लिए आवर्ती व्यय के लिए 20 लाख रुपए वार्षिक रुपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

विश्वविद्यालयों और अन्य सरकारी संस्थानों में मौजूदा इन्क्यूबेटरों को उनकी सुविधाओं के उन्नयन के लिए प्रति इनक्यूबेटर दस लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

इससे पहले, इनक्यूबेशन केंद्र में स्टार्टअप लाभ प्राप्त करने के लिए केवल एक वर्ष की अवधि के लिए पात्र थे। अब नई स्टार्टअप नीति में ऐसे स्टार्टअप सब्सिडाइज्ड दरों पर स्पेस, प्लग एंड प्ले सुविधाओं के लिए तीन वर्ष के लिए लाभ ले सकते हैं।

नई नीति अब पहले के आठ अलग-अलग कानूनों के बजाय 14 अलग-अलग कानूनों के तहत स्व-प्रमाणन रिपोर्ट दाखिल करने की अनुमति देकर स्टार्टअप्स को और सुविधा प्रदान करती है। इससे स्टार्टअप्स के लिए कारोबार करने में आसानी होगी।

राज्य सरकार हर छह महीने में हरियाणा के 22 जिलों में विशिष्ट उद्यमिता विकास कार्य म भी आयोजित करेगी ताकि नई नीति के तहत स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र में उनके विकास के अवसरों और क्षमता के बारे में इच्छुक इनोवेटर्स/उद्यमियों और स्कूल/कॉलेज के विद्यार्थियों के बीच और ज़ागरूकता पैदा की जा सके।

टैक्सटाइल उद्योग को बढ़ावा देगी 'हरियाणा आत्मनिर्भर कपड़ा नीति'

राज्य सरकार प्रदेश में जल्द ही 'हरियाणा आत्मनिर्भर कपड़ा नीति 2022-25' लागू करेगी। इससे जहां प्रदेश में टैक्सटाइल उद्योग को पंख लगने में सहायता मिलेगी, वहीं एमएसएमई को भी बढ़ावा मिलेगा। हमारा प्रयास है कि प्रदेश के अधिक से अधिक युवा एमएसएमई से जुड़ें ताकि वे स्वयं भी रोजगारयुक्त हों और अन्य युवाओं को भी रोज़गार उपलब्ध करवाने में सक्षम हो सकें।

दुष्यंत चौटाला, उपमुख्यमंत्री, हरियाणा

हरियाणा स्टेट डाटा सेंटर पॉलिसी के तहत डाटा सेंटर बनाने वाली कंपनियों को स्टांप ड्यूटी, बिजली शुल्क और स्टेट जीएसटी में छूट दी गई है। अनुमान है कि इससे प्रदेश में हजारों करोड़ का नया निवेश आएगा।

किसानों के हित को देखते हुए 'मेरा पानी-मेरी विरासत' के तहत योजना का विस्तार करते हुए पॉपुलर और सफेदा को भी वैकल्पिक फसलों की सूची में शामिल किया गया है।

मेरा पानी मेरी विरासत के सार्थक परिणाम

संगीता शर्मा

जल ही जीवन है और हमें भावी पीढ़ी के लिये जल बचाकर रखना आज चुनौती बन गया है। तीसरा विश्वयुद्ध शायद जलयुद्ध ही होगा। इसलिये हमें पानी के हर बूंद का उपयोग करना होगा। कहा भी गया है कि बूंद-बूंद से घड़ा भरे और बूंद-बूंद से सागर। इसी को ध्यान रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'वन ड्रोप मोर क्रॉप' का आह्वान किया था। हरियाणा ने प्रधानमंत्री के इस विज़न को आगे बढ़ाया है। इसी मकसद से हरियाणा में कोविड-19 के दौरान दो साल पहले आरंभ की गई 'मेरा पानी मेरी विरासत योजना' के परिणाम ज़मीनी स्तर पर आने आरंभ हो गये हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकूला से 7,500 सूक्ष्म सिंचाई प्रदर्शनी योजनाओं का लोकार्पण किया। सूक्ष्म सिंचाई और नहरी विकास प्राधिकरण द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सूक्ष्म सिंचाई के पांच मोबाइल वैनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और इसके साथ-साथ सभी जिलों से दो-दो वाहनों की रवानगी भी की ताकि आम जनता को जल संरक्षण व जल संवर्द्धन का संदेश दिया जा सके।

सूक्ष्म सिंचाई से पानी की बचत

तकनीकी युग में सिंचाई विधि के नये-नये उपयोग देखे जा सकते हैं। सूक्ष्म सिंचाई में टपका, फव्वारा ऐसी व्यवस्था है, जिससे हम अधिक से अधिक पानी बचा सकते हैं और साथ ही अच्छी पैदावार ले सकते हैं। पीने के पानी की हम बचत नहीं कर सकते। धान, कपास व गन्ना में अधिक पानी लगता है। कृषि विज्ञानी कहते हैं कि एक किलो चावल तैयार होने में 3 हजार से अधिक लिटर पानी की ज़रूरत होती है।

दो लाख एकड़ का लक्ष्य

मुख्यमंत्री ने कहा कि रासायनिक खादों के अधिक उपयोग व भूजल के दोहन के कारण हम खाद्यानों के मामलों में आत्मनिर्भर बन गये परंतु आज हमें दूसरे विकल्प की ओर जाना होगा। सूक्ष्म सिंचाई भी उस दिशा में एक कदम है। उन्होंने कहा कि दो वर्ष पहले कोरोना के काल के दौरान आरंभ की गई 'मेरा पानी मेरी विरासत योजना' के प्रति किसानों का रूझान बढ़ा है और प्रदेश के धान बाहुल जिलों में किसानों ने धान के स्थान पर अन्य वैकल्पिक फसलें उगाना आरंभ किया है। उन्होंने कहा कि मुझे यह बताते हुए खुशी है कि पहले वर्ष में 98 हजार एकड़ में धान के स्थान पर अन्य फसलें उगाई गई और इस बार दो लाख एकड़ का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि पानी के उत्कृष्ट प्रबंधन पर हमें चलाना होगा। हरियाणा देश का ऐसा राज्य है जहां पर नहरी पानी की उपलब्धता कम है हमारे यहां केवल यमुना ही एक नदी है, जिससे हमें पानी मिलता है।

पानी से कीमती कोई चीज नहीं : सीएम

प्रदेश में लगभग 200 जल शोधन संयंत्र संचालित हैं और 50 प्रतिशत से अधिक शोधित पानी का दोबारा प्रयोग सिंचाई व अन्य कार्यों में कर रहे हैं। प्राकृतिक जल स्रोतों को भी बचाना होगा, इसके लिये हमें वृक्षारोपण, बांध इत्यादि बनाने होंगे परंतु पानी को हम पैदा नहीं कर सकते है। जो पानी उपलब्ध है, उसी का प्रयोग हमें सावधानीपूर्वक करना होगा। इजराइल विश्व का ऐसा देश है, जहां पानी की बहुत किल्लत है और पूरी खेती टपका सिंचाई से की जाती है। हरियाणा सरकार ने भी इज़राइल के साथ-साथ जल संरक्षण एवं फल एवं सब्जी उत्कृष्ट केंद्र के कई समझौते किये हैं। जल संरक्षण में हमें इजराइल देश का अनुसरण करना चाहिए।

जल संरक्षण की योजनाओं पर कार्य

सिंचाई एवं जल साधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव देवेंद्र सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री की सोच के अनुरूप विभाग जल संरक्षण की योजनाओं पर कार्य कर रहा है। प्रदेश के 142 ब्लॉक में से 85 ब्लॉक डार्क जोन में चले गए हैं, जहां पर पानी 100 मीटर से भी नीचे चला गया है। उन्होंने कहा कि जल प्रबंधन पर आयोजित एक राष्ट्रीय सेमिनार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री की 'मेरा पानी मेरी विरासत' योजना की सराहना की थी और पानी के प्रबंधन पर विस्तार से प्रकाश डाला था। प्रदेश के 35 लाख हैक्टेयर में से 11.12 प्रतिशत में ही सूक्ष्य सिंचाई होती है, जिसे बढ़ाकर 20 प्रतिशत तक ले जाना होगा।

सूक्ष्म सिंचाई से होती 50 से 60 प्रतिशत पानी की बचत

प्रगतिशील किसान मनोज कुमार, तरावड़ी, जिला करनाल ने मुख्यमंत्री से बातचीत करते हुए बताया कि मैंने इस वर्ष मिकाड़ा के तहत सूक्ष्म सिंचाई का इस्तेमाल एक एकड़ भूमि पर किया। जिसमें धान की फसल लगाई हुई है, जिससे 50 से 60 प्रतिशत पानी की बचत के साथ-साथ खेत के मजदूरी का पैसा भी बचा है। उन्होंने बताया कि मैंने सिर्फ़ जीएसटी का 18 हजार रुपए ही भरा था बाकि का सारा खर्च 82 से 8 3 प्रतिशत सरकार द्वारा वहन किया गया है। डीएसआर विधि से 50 से 30 प्रतिशत पानी की बचत होती है। इसी प्रकार प्रगतिशील किसान अशोक रत्ताखेड़ा जिला फतेहाबाद ने बताया कि उन्होंने सूक्ष्म सिंचाई एक एकड़ में लगवाया है जिससे 50 प्रतिशत से अधिक पानी की बचत होती है और इस बार अपनी सारी जमीन पर सूक्ष्म सिंचाई लगवाने की सोच रहा हूं।

किसान बलबीर सिंह जिला अंबाला ने अपने खेत से मुख्यमंत्री से सीधी बात करते हुए बताया कि 2019-20 में सिंचाई विभाग की टीम आई थी जिन्होंने मुझे यह प्रोजेक्ट लगाने की सलाह दी। तो मैंने दो एकड़ गन्ने की फसल में यह प्रोजेक्ट लगवाया और पिछले वर्ष धान की खेती में भी इसका उपयोग किया। किसान हुकम सिंह, जिला यमुनानगर ने बताया कि वह 21 एकड़ भूमि पर सूक्ष्म सिंचाई से खेती कर रहा है। जिसमें गन्ना और धान की फसल कर रहा है। उन्होंने बताया कि पहले एक ट्यूबवैल से आठ घंटे में एक एकड़ में पानी फिरता था लेकिन अब सूक्ष्म सिंचाई के कारण एक घंटे में पांच एकड़ फसल में पानी फिरता है। इससे पानी के साथ बिजली की भी बचत हो रही है।

किसान लखविंदर सिंह जिला कुरुक्षेत्र ने बताया कि सूक्ष्म सिंचाई पानी बचाने के लिए बहुत अच्छी योजना है क्योंकि इससे भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को पानी मिल सकेगा। यह एक यूनिक आईडिया है जो हमारी पुश्तों को बचाने के लिए काम कर रहा है। उन्होंने बताया कि वह घर का पानी व छत के पानी को पाइप के माध्यम से खेत में ले जाकर उसका भी सिंचाई के लिए इस्तेमाल करता है।

बरसाती मौसम में सब्जियों का उत्पादन

प्रदेश में दर्जन के करीब ऐसे जिले हैं जहां किसान खरीफ के मौसम में बागवानी की खेती करके अच्छा खासा लाभ लेते हैं। पानीपत जीटी रोड बेल्ट के सोनीपत, करनाल के बाद कुरूक्षेत्र, कैथल का नाम आता है जहां किसान मानसून में बागवानी की खेती करते हैं। सिरसा, हिसार, भिवानी, पलवल के किसान भी इस मौसम में सब्जियों को उगाने का कार्य करते हैं। पानीपत के उग्राखेड़ी के किसान जसबीर के अनुसार इस मौसम में किसानों को सब्जियों की खेती में कम मेहनत करने की जरूरत होती है। बारिश से खेत में खुद सिंचाई हो जाती है।

खीरे की खेती : इस मौसम में कम मेहनत में किसान खीरे की खेती कर अच्छी पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। खीरे की खेती के लिए धूप के साथ अधिक मात्रा में पानी की जरूरत होती है। ऐसे में यह मौसम सही है। खीरे की खेती से किसान अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। यह फसल अन्य फसलों की तुलना में आसानी से उगाई जाने वाली फसलों की श्रेणी में आती है। अब लगाई गई खीरे की फसल दिसंबर तक चलेगी। इस फसल की 45 दिन के बाद तुड़ाई प्रारंभ हो जाती है।

मूली : मूली रोपाई के लगभग 3 सप्ताह में कटाई के लिए तैयार हो जाती है। इसकी खेती में पानी की अधिक जरूरत पड़ती है। मानसून का मौसम मूली की फसल के लिए अच्छा है। किसान इस फसल को उगाकर बाजार में अच्छा लाभ कमा सकते हैं। यही नहीं किसान इस मौसम में टिंडे की खेती भी कर सकते हैं, यह फसल 35 से 40 दिन में तैयार हो जाती है।

हरी मिर्ची: हरी मिर्ची की खेती की सबसे अच्छी खासियत यह है कि किसान इसकी खेती किसी भी तरह की मिट्टी में कर सकते हैं। अगर किसान अच्छी और तीखी मिर्ची का उत्पादन करना चाहते हैं तो उनके लिए यह मौसम सही है। यह खेती 45 से 50 दिन में तैयार हो जाती है।

चुकंदर: किसान बारिश के मौसम में इसकी खेती से अधिक उत्पादन कर सकते हैं। चुकंदर की खेती के लिए 5-6 दिनों तक पानी की अधिक जरूरत पड़ती है। यह फसल 2 महीने में पूरी तरह से पककर तैयार हो जाती है।

टमाटर: किसान इस मौसम में टमाटर की खेती करके अच्छा खासा लाभ ले सकते हैं। अब लगाई गई टमाटर सर्दी के मौसम तक चलेगी। यही नहीं इस मौसम में किसान घीया की खेती भी कर सकते हैं। इंडो इजाईल सब्जी उत्कृष्टता केंद्र के उप निदेशक सुधीर यादव के अनुसार किसान इस मौसम में बेल वाली सब्जियों की पौध लगा कर भरपूर उत्पादन कर सकते हैं। इस मौसम में किसान मिर्च, गोभी, मूली, खीरा , तुरई, ककड़ी आदि का उत्पादन कर सकते हैं।

-सुरेंद्र सिंह मलिक

केंद्रीय सहकारी बैंकों की 'एकमुश्त अदायगी योजना 2022' को स्वीकृति दी गई है। यह योजना 30.11.2022 तक लागू रहेगी। फसली ऋण की समय पर अदायगी करने वाले किसानों को 'शून्य' ब्याज दर पर ऋण प्रदान किया जा रहा है।

आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों एवं संस्थानों को वर्ष 2023 के 'सुभाष चन्द्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार' के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं।

प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए नई पहल

देसी गाय की खरीद के लिए 25 हजार रुपए तक सब्सिडी देगी राज्य सरकार

वर्तमान समय प्राकृतिक खेती का है। प्राकृतिक खेती की तरफ़ किसान का दिन-प्रतिदिन रूझान बढ़ रहा है। हरियाणा सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए नित नई योजनाएं ला रही है। हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में एक और पहल करते हुए प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए देसी गाय की खरीद पर 25 हजार रुपए तक की सब्सिडी देने व प्राकृतिक खेती के लिए जीवामृत का घोल तैयार करने के लिए चार बड़े ड्रम किसानों को निशुल्क देने की घोषणा की। ऐसा करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य होगा। मुख्यमंत्री करनाल के डॉ. मंगलसैन ऑडोटोरियम हॉल में प्राकृतिक खेती पर आयोजित राज्यस्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्यातिथि के रूप में बोल रहे थे। मुख्यमंत्री ने कृषि विशेषज्ञों से सीधा संवाद किया और प्राकृतिक खेती को बढ़ाने के टिप्स दिए।

देसी गाय खरीदने के लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी

मुख्यमंत्री ने कहा कि पोर्टल पर रजिस्टर्ड दो से पांच एकड़ भूमि वाले किसान, जो स्वेच्छा से प्राकृतिक खेती अपनाएंगे, उन्हें देसी गाय खरीदने के लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार की कृषि तकनीक प्रबंधन एजेंसी (आत्मा) से जुड़े तकनीकी सहायक प्रबंधक, ब्लॉक तकनीकी सहायक प्रबंधक व उपस्थित किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि कृषि विभाग की 'आत्मा' योजना सही मायने में रासायनिक खादों के अंधाधुंध उपयोगों से हमारे खेतों में पैदा हो रहे जहरीले खाद्यान्नों को ठीक करने के लिए एक आवाज है। उन्होंने कहा कि सिक्किम देश का पहला राज्य है जो पूरी तरह से प्राकृतिक खेती पर आ गया है। हिमाचल प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश में भी काफी कार्य हो रहा है।

न तो जहर बोएंगे और न जहर खाएंगे

किसान अब प्राकृतिक खेती को समझने लगे हैं और कृषि विभाग द्वारा बनाए गए पोर्टल पर अब तक प्रदेश के 1,253 किसानों ने स्वेच्छा से प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए पंजीकरण करवाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक समय था जब 1960 के दशक में देश में खाद्यान्नों की कमी हो गई थी, इसके लिए हरित क्रांति का आह्वान किया गया, जिसके चलते अंधाधुंध रासायनिक खादों का उपयोग हुआ और देश में अनाज के उत्पादन की कमी नहीं रही। अब रासायनिक खादों के प्रयोग से खेत भी जहरीले हो गए हैं और खाद्यानों का उत्पादन भी जहरीला हो गया है। हमें संकल्प लेना चाहिए कि न तो जहर बोएंगे और न ही जहर खाएंगे।

गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने गुरुकुल कुरुक्षेत्र में प्राकृतिक खेती प्रशिक्षण संस्थान के लिए ज़मीन उपलब्ध करवाई है। अब तक 232 एटीएम, बीटीएम व किसानों ने प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण लिया। अब ये लोग किसानों के पास जाकर योजनाओं के साथ प्राकृतिक खेती के लिए प्रशिक्षित करेंगे। इसके लिए मैनपावर और बजट बढ़ाने की आवश्यकता हुई तो सरकार उसे पूरा करेगी।

प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के प्रयास

» किसानों के लिए प्राकृतिक खेती का प्रदर्शन प्लांट लगाने हेतु पोर्टल बनाया जाएगा।

» इस पोर्टल पर ज़मीन की पूरी जानकारी देने के साथ-साथ किसान स्वेच्छा से फसल विविधिकरण अपनाने बारे जानकारी देंगे।

> प्राकृतिक विधि अपनाने से किसानों की आमदनी बढ़ेगी और लागत भी बहुत कम होगी। अब प्राकृतिक तरीके से खाद्यान, फल और सब्ज़ी का उत्पादन करने पर बल दिया जाएगा।
>
> **जे.पी दलाल, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री**

» इसके अलावा वे दलहनी फसलें उगाने बारे भी जानकारी देगा। इस प्रकार विभाग के पास पूरी जानकारी होगी तो आसानी से मोनिटरिंग की जा सकेगी।

» किसानों को 20-25 के छोटे-छोटे समूह में प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वे अच्छी तरह से फसल उत्पादन बारे जानकारी ले सकें।

» प्राकृतिक खेती के उत्पादों की पैकिंग सीधे किसान के खेतों से ही हो, ऐसी योजना भी तैयार की जाएगी ताकि बाजार में ग्राहकों को इस बात की शंका न रहे कि यह प्राकृतिक खेती का उत्पाद है या नहीं।

» प्राकृतिक उत्पादन की टेस्टिंग की जानकारी लेने के लिए बाज़ार में मंहगे उपकरण उपलब्ध हैं ।

> प्राकृतिक खेती का मूल उद्देश्य खान-पान को बदलना है, इसके लिए हमें खाद्यान ही औषधि की धारणा को अपनाना होगा। प्राकृतिक खेती ही इसका एकमात्र रास्ता है। प्रदेश के 50 हजार एकड़ भूमि में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया है, लोगों को इसके प्रति जागरूक करने के लिए हर खंड में एक प्रदर्शनी खेत में प्राकृतिक खेती की करवाई जाएगी।
>
> **मनोहर लाल, मुख्यमंत्री, हरियाणा**

क्या कहना है किसानों का

रेवाड़ी के प्रशासनिक ब्राण्ड एम्बेसडर आर्गेनिक फार्मिंग किसान यशपाल का कहना है कि देसी गाय हर किसान के घर पहुंचाने का जो मक़सद है वो सराहनीय है। इसके साथ जो सिंगल यूज प्लास्टिक बैन करने से भी पर्यावरण संरक्षण होगा। किसान अपने खेतों में गऊ मूत्र व गाय के गोबर से जीवाअमृत बना करके अपने खेतों मे प्रयोग करें व अपने खेत को रसायनों से मुक्ति दिलाये। इससे लोगों के स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा व मृदा की उर्वरा क्षमता भी बढ़ेगी। हरियाणा सरकार की इस योजना से कृषि व स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे।

धारुहेडा गांव के संजय यादव का कहना है कि जैविक खेती किसानों व आमजन के लिए वरदान साबित हो रही है। उनका कहना है कि हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए देसी गाय की खरीद पर 25 हजार रुपए तक की सब्सिडी देने व प्राकृतिक खेती के लिए जीवामृत का घोल तैयार करने के लिए चार बड़े ड्रम किसानों को निशुल्क देने की घोषणा काबिलेतारीफ़ है। सरकार जैविक खेती को किसानों द्वारा अधिक अपनाने में विशेष बल दे रही है जो कि सराहनीय है।

धवाना गांव के ज्ञानी राम का कहना है कि सरकार द्वारा प्रगतिशील किसानों को अब प्रकृतिशील किसान कहना अच्छी पहल है। वास्तव में जैविक खेती कर रहे किसानों प्रकृति संरक्षण में विशेष योगदान दे रहे हैं और आम लोगों को रसायनमुक्त जैविक उत्पाद प्रदान कर रहे हैं जो उन्हें बिमारियों से राहत दिलाते हैं।

दलहन उगाएं, अनुदान पाएं

हरियाणा सरकार ने फसल विविधिकरण योजना के अंतर्गत दक्षिण हरियाणा के बाजरा बाहुल्य सात जिलों नामतः भिवानी, चरखी दादरी, महेन्द्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, हिसार तथा नूंह में बाजरे के स्थान पर दलहन व तिलहन की फसलों को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत कम से कम एक लाख एकड़ क्षेत्र में दलहन व तिलहन फसल को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया है।

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डा. सुमिता मिश्रा ने बताया की भारत सरकार ने दलहन व तिलहन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी की है। योजना के अन्तर्गत दलहनी फसलों में मूँग, अरहर व उड़द तथा तिलहनी फसलों में अरण्ड, मूंगफली व तिल की फसलें शामिल हैं। योजना के तहत किसानों को 4,000 रुपए प्रति एकड़ वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी। इसके लिए किसानों को पहले 'मेरी फसल मेरा ब्यौरा' पोर्टल पर पंजीकृत कराना होगा और सत्यापन उपरांत सहायता राशि किसानों के खातों में हस्तांतरित कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि विभाग दलहनी व तिलहनी फसल क्षेत्र बढ़ाने पर जोर दे रहा है। किसानों को फसलों की नई किस्मों व आधुनिक तकनीक जानकारी दी जा रही है।

उल्लेखनीय है कि दाल वाली फसलें मृदा के स्वास्थ्य को अच्छा बनाती हैं और हवा की नाइट्रोजन को सोखकर जमीन में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाती हैं, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। इस तरह किसानों को खेत में नाइट्रोजन फर्टिलाइजर की कम मात्रा की जरूरत पड़ेगी। तिलहन वाली फसलों को बढ़ावा देने से देश में खाद्य तेल की कमी को भी पूरा करने में सहयोग मिलेगा।

हरियाणा सरकार द्वारा संस्कृति को बढ़ावा देने की कड़ी में कला एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग द्वारा संगीत, नृत्य, रंगमंच, चित्रकला, मूर्तिकला विधा में विशेषज्ञों का एक पैनल बनाया जा रहा है।

राज्य सरकार ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में कवर होने वाले बेंचमार्क निःशक्त व्यक्तियों को पदोन्नति के मामले में चार प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ देने का निर्णय लिया है।

नशाखोरी के खिलाफ 'हल्ला-बोल'

मनोज प्रभाकर

दूध-दही के खाणे के लिए मशहूर म्हारे हरियाणे को नशे की बुराई से दूर रखने के लिए राज्य सरकार ने जन आंदोलन की तैयारी की है। पुलिस प्रशासन को हर तरह से चुस्त दुरुस्त किया गया है तथा सहयोग के लिए आठ अन्य विभागों को भी अलर्ट किया गया है। इस हल्ला बोल अभियान में नशे के अवैध कारोबार में संलिप्त लोगों को न केवल सख्त सजा दिलाई जाएगी बल्कि उनकी संपत्ति भी कुर्क की जाएगी।

नई पहल के मुताबिक राज्य सरकार, एनजीओ व समाज के सभी लोग मिलकर नशे के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। इसके लिए हरियाणा राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने सभी विभागों के सहयोग एवं जन भागीदारी के साथ इस बुराई से निपटने के लिए कार्ययोजना तैयार की है।

उम्मीद है कि नशे में लिप्त हो रहे युवाओं के स्वास्थ्य वर्धन और उनके पुनर्वास के लिए ब्यूरो की यह पहल अनूठी साबित होगी। इस प्लान में नशे से ग्रस्त व्यक्ति की पहचान करके उसे उचित परामर्श और चिकित्सा देकर उसका पुनर्वास किया जाना शामिल है।

स्कूल कालेजों में काम करेंगे 'धाकड़'

प्रदेश को नशामुक्त बनाने के लिए उक्त एक्शन प्लान के तहत स्कूल, कॉलेजों व विश्वविद्यालयों में धाकड़ कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। धाकड़ का अर्थ हिम्मत वाला व्यक्ति। धाकड़ कार्यक्रम के तहत क्लास के पांच बच्चों का एक ग्रुप बनाया जाएगा, जो सुस्त, एकाकी रहने वाले व चोरी छिपे नशा करने वाले बच्चों की पहचान करेंगे और उसकी सूचना क्लास टीचर यानी सीनियर धाकड़ को देंगे। सीनियर धाकड़ सूचना प्राप्त करने के बाद संबंधित प्रिंसिपल/हैड मास्टर को रिपोर्ट करेंगे जो नोडल धाकड़ कहलाएगा। इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन और सुपरविजन के लिए राज्य, जिला, उपमंडल, कलस्टर और गांव/वार्ड स्तर पर मिशन टीमें, नशे से ग्रस्त व्यक्ति की काउंसलिंग, उपचार व पुनर्वास के लिए काम करेंगी। गांव स्तर पर 6538 टीमें, वार्ड मिशन की 1710 टीमें, 532 कलस्टर टीम, 72 सब डिविजन टीमें, 22 जिले स्तर की टीमें और 25 हजार कैमिस्टों की टीम एक्शन प्लान के तहत काम करेगी।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल मधुबन पुलिस अकादमी स्थित हर्षवर्धन ऑडोटोरियम में हरियाणा राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में नशामुक्त अभियान की कार्ययोजना पर अधिकारियों से विस्तार से बातचीत की। उन्होंने कार्यक्रम में पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को स्वयं नशा न करने और दूसरों को भी नशे से दूर रहने की प्रेरणा देने की शपथ दिलाई।

युवा अपनी जिम्मेवारी समझें: राज्यपाल

राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि हरियाणा विकास के हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रदेश के युवाओं को नशे से दूर रहकर स्वयं के और देश-प्रदेश के विकास में सहभागी बनना चाहिए।

कार्ययोजना अभेद्य है

स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री अनिल विज ने कार्य योजना का जिक्र करते हुए कहा कि सभी सरकारी विभाग, समाज के सभी अंग मिलकर नशे के खिलाफ जन आंदोलन चलाएंगे। जो नशे से ग्रस्त है, उसे ठीक करेंगे। इसके लिए नशा मुक्त सेंटर चलाने के साथ-साथ जागरूकता कार्यक्रम भी किये जाएंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि जो लोग नशे के व्यापार में संलिप्त है, उनके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। हरियाणा राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि उसके द्वारा बनाया गया एक्शन प्लान अभेद्य है। प्रदेश के 10 जिलों नशे का अधिक प्रभाव है। वहां सबने मिलकर काम करना है।

सामाजिक विकास के लिए चरित्र निर्माण जरूरी

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सड़कें और इन्फ्रास्ट्रक्चर जैसे विकास के साथ-साथ समाज और उसमें रहने वाले व्यक्ति का विकास भी जरूरी है। इसके लिए उसकी शिक्षा, संस्कार देने के साथ साथ नशे जैसी गलत आदतों से रोककर चरित्र निर्माण किया जाना चाहिए। नशा अपने आप में एक व्यापक शब्द है और इसके कई मायने हैं। सत्ता का नशा, ताकत का नशा, अच्छे काम का नशा, दौलत का नशा और एक नशा भगवत भक्ति का भी है। नशीली चीजों का उपयोग करना सबसे खराब नशा है। इससे व्यक्ति का संतुलन बिगड़ जाता है और उसका विकास रूक जाता है। यह व्यक्ति के साथ-साथ परिवार को खोखला कर देता है। नशे का संबंध केवल इसके उपयोग करने तक ही सीमित नहीं बल्कि यह राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं तक फैला हुआ है। इसे रोकना हालांकि चुनौती है, लेकिन प्रयासों से सब कुछ संभव हो जाता है।

प्रयास और साथी नामक दो ऐप

एक्शन प्लान की स्टेट मिशन टीम के अध्यक्ष एवं प्रदेश के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा कि प्लान से स्वास्थ्य, मेडिकल शिक्षा, गृह, आबकारी एवं कराधान तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता जैसे करीब 18 विभाग जुड़े है। प्लान में 'प्रयास' और 'साथी' नाम से दो एप विकसित की गई हैं, जो प्रतिबंधित दवाइयों पर अंकुश लगाने का काम करेंगी। ट्रेनिंग का विषय भी जोड़ा गया है।

अपराधियों की संपत्ति कुर्क होगी

हरियाणा पुलिस अकादमी में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो नई दिल्ली के तत्वाधान में एनडीपीएस मामलों का अन्वेषण और नशे की अवैध कमाई को कुर्क कराने के बारे में प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई। हरियाणा के पुलिस महानिदेशक पीके अग्रवाल के निर्देशन में आयोजित इस कार्यशाला में पुलिस के तीन सौ अधिकारियों व कर्मचारियों ने भाग लिया। दिल्ली इकाई के अधीक्षक धनंजय ने मादक पदार्थों के अवैध कारोबार से कमाए गए धन व संपत्ति के कुर्क कराने की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने नशीली दवाइयों की पहचान व अन्वेषण प्रक्रिया के बारे में भी चर्चा की।

लघु एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए अंबाला में आदर्श औद्योगिक एस्टेट स्थापित की जाएगी जिसमें इन उद्योगों को संचालित करने वाले उद्यमियों के लिए विभिन्न तकनीकी सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी।

खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की तारीफ़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 'मन की बात' कार्यक्रम में की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने खेलों में लड़कियों द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड की भी प्रशंसा की।

पिछड़ा वर्ग आयोग के ज़रिए मिल रहा योजनाओं का लाभ

धर्मक्षेत्र-कुरुक्षेत्र की पावन भूमि पर बाबा माखन शाह लबाना व बाबा लक्खी शाह वंजारा जयंती भव्य तरीके से मनाई गई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकार पिछड़ा वर्ग आयोग को नए सिरे से बना रही है। इसके बनने के बाद समाज की सभी समस्याओं की चिंता यह आयोग भी करेगा। आयोग के माध्यम से सभी योजनाओं का लाभ लाभार्थियों को मिले, यह सुनिश्चित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा बंदा सिंह की राजधानी लोहगढ़ को विकसित किया जाएगा और बाबा लक्खी शाह वंजारा के नाम की भी वहां व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

उन्होंने कहा कि समाज की कुछ जातियां एससी तो कुछ पिछड़ा वर्ग में है, हमने इसके लिए केंद्र सरकार को लिखा है। मुख्यमंत्री ने अपील की कि समाज के जो लोग ज़्यादा कमजोर हैं, केवल उन्हें ही अनुसूचित जाति में जाना चाहिए। उन्होंने घोषणा की कि नगर पालिका कुरुक्षेत्र में कम्युनिटी सेंटर को लक्खी शाह वंजारा के नाम से बनवाया जाएगा। उन्होंने लबाना भवन के लिए जगह तय करने के निर्देश दिए। उन्होंने उपायुक्तों को निर्देश दिए कि जिन जिलों में समाज के लोग रहते हों वहां के किसी चौक-चौराहे, कम्युनिटी सेंटर या शिक्षण संस्थान को बाबा माखन शाह लबाना व बाबा लक्खी शाह वंजारा के नाम से किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज के लोगों को जहां ज़मीन चाहिए, स्थानीय स्तर पर प्रस्ताव पास करवाना पड़ेगा। अगर उनके पास प्रस्ताव आता है तो वे उस पर तुरंत कार्यवाही करेंगे।

वंजारा समाज बहुत ही संघर्षशील व मेहनती

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि वंजारा समाज बहुत ही संघर्षशील, मेहनती और स्वाभिमानी समाज है। पूरे देश में एक अलग ही संस्कृति में जीने वाले के रूप में यह समाज अपनी विशिष्ट पहचान बनाए हुए है। मुख्यमंत्री ने कहा कि घुमन्तू जातियों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए संबंधित परिवारों के पहचान पत्र बनाये गये हैं। अब इन्हें सरकार की सभी योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ परिवार पहचान पत्र के माध्यम से मिलेगा। प्रदेश में बेघर घुमन्तू परिवारों का एक सर्वे किया जा चुका है जिसके जरिए उन्हें बसाने के लिए एक योजना है। घुमन्तू जातियों के युवाओं को नौकरियों की भर्ती में 5 अतिरिक्त अंक दिये जाते हैं।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि गीता की इस जन्मस्थली को सिख गुरुओं ने भी अपने पावन चरणों से पवित्र किया भाई माखन शाह लबाना और भाई लक्खी शाह वंजारा दोनों का श्री गुरु तेग बहादुर जी के साथ गहरा संबंध रहा है।

पर्यावरण संरक्षित करेगी इलेक्ट्रिक वाहन नीति

पर्यावरण संरक्षण हम सबकी जिम्मेदारी है। पेट्रोल व डीजल के प्रयोग से होने वाले वाहनों से प्रदूषण अधिक बढ़ता है। इन सबसे निजात पाने के लिए हरियाणा में इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति 2022 को मंजूरी दी गई है। वर्ष 2022 को हरियाणा में 'इलेक्ट्रिक वाहनों का वर्ष' घोषित किया जाएगा।

ईवी नीति का उद्देश्य पर्यावरण को संरक्षित करना, कार्बन फुटप्रिंट को कम करना, हरियाणा को ईवी मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना, ईवी क्षेत्र में कौशल विकास सुनिश्चित करना, ईवी वाहनों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना, ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करना और ईवी तकनीक में अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करना है। यह नीति ईवी प्रौद्योगिकी में नए विनिर्माण को प्रोत्साहित करती है और मौजूदा ऑटोमोबाइल निर्माताओं को ईवी विनिर्माण क्षेत्र में विविधता लाने के लिए प्रोत्साहित भी करती है।

वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करना

नीति में ईवी निर्माताओं को फिक्सड पूंजी निवेश (एफसीआई), कुल एसजीएसटी, स्टाम्प शुल्क पर प्रोत्साहन देकर विभिन्न वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करना, रोज़गार सृजन इत्यादि शामिल हैं। इसके अनुसार 20 वर्ष की अवधि के लिए विद्युत शुल्क में छूट के साथ स्टाम्प शुल्क की शत-प्रतिशत प्रतिपूर्ति की जाएगी। दस वर्षों की अवधि के लिए लागू कुल एसजीएसटी प्रतिपूर्ति 50 प्रतिशत होगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल के कंपोनेंट्स, ईवी बैटरी, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर आदि बनाने वाली कंपनियों को कैपिटल सब्सिडी के साथ इंसेंटिव दिया जाएगा।

खरीददारों को प्रोत्साहन

एक इलेक्ट्रिक वाहन की लागत पारंपरिक-ईंधन-आधारित वाहनों की तुलना में अधिक है जो ईवी पर जाने (स्विच) में खरीददारों के लिए एक प्रमुख बाधा है। नीति खरीददारों को प्रोत्साहन प्रदान करती है जो प्रभावी अग्रिम लागत को कम करेगी और व्यक्तियों को परिवहन के लिए अपने प्राथमिक साधन के रूप में इलेक्ट्रिक वाहनों को लेने के लिए प्रेरित करेगी। यह नीति राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों या हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर 10 लाख रुपए तक का अर्ली बर्ड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर प्रदान करेगी। खरीददार पंजीकरण शुल्क में छूट और मोटर वाहन कर में छूट के पात्र होंगे।

अनुसंधान और विकास को बढ़ावा

यह नीति शैक्षिक या अनुसंधान संस्थानों में अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करती है। यह नीति नई इलेक्ट्रिक चार्जिंग तकनीक विकसित करने के लिए एक करोड़ रुपए तक की परियोजना लागत का 50 प्रतिशत और नई इलेक्ट्रिक वाहन प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए पांच करोड़ रुपए तक ईवी के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देगी। गैर-जीवाश्म-ईंधन आधारित गतिशीलता समाधान (मोबिलिटी सॉल्यूशन) पर समर्पित अनुसंधान करने वाले संस्थानों को पांच करोड़ रुपए का अनुदान प्रदान किया जाएगा। ईवी के अनुसंधान एवं विकास से संबंधित बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए पहले 20 कॉलेजों/आईटीआई/पॉलिटेक्निकों को 25 लाख रुपए की एकमुश्त सब्सिडी दी जाएगी।

रोज़गार सृजन सब्सिडी

सरकारी संगठनों/सार्वजनिक निकायों/निजी कंपनियों को उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जिसे पांच करोड़ रुपए तक की परियोजना लागत के 50 प्रतिशत अनुदान के साथ प्रोत्साहित किया जाएगा। नीति में ईवी कंपनियों के साथ कार्यरत हरियाणा अधिवासी जनशक्ति के एवज में दस वर्षों के लिए 48 हजार रुपए प्रति कर्मचारी प्रतिवर्ष की रोज़गार सृजन सब्सिडी का भी प्रावधान है। वर्ष 2030 तक हरियाणा राज्य परिवहन उपक्रमों के स्वामित्व वाले बस बेड़े को शत-प्रतिशत इलेक्ट्रिक बसों या ईंधन सैल वाहनों या अन्य गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित प्रौद्योगिकियों में बदलने का प्रयास किया जाएगा।

मॉडल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी

गुरुग्राम और फरीदाबाद शहरों को मॉडल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी शहरों के रूप में घोषित किया जाएगा, जिसमें शत-प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहनों, ई-मोबिलिटी हासिल करने के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को अपनाने के लिए चरणबद्ध लक्ष्य होंगे। इसके अलावा, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग अनिवार्य रूप से समग्र पारिस्थितिकी तंत्र को सक्षम करने के लिए समूह आवासीय भवनों, वाणिज्यिक भवनों, संस्थागत भवनों, मॉल, मेट्रो स्टेशन इत्यादि स्थानों में इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने के प्रावधान शामिल करेगा।

कितनी मिलेगी सब्सिडी

- मेगा उद्योग को एफसीआई का 20 प्रतिशत या 20 करोड़ रुपए, जो भी कम हो, पर पूंजीगत सब्सिडी मिलेगी।
- बड़े उद्योग को 10 करोड़ रुपए तक एफसीआई की 10 प्रतिशत की सब्सिडी मिलेगी।
- मंझले उद्योग के लिए 50 लाख रुपए तक एफसीआई का 20 प्रतिशत, लघु उद्योग के लिए 40 लाख रुपए तक एफसीआई का 20 प्रतिशत और सूक्ष्म उद्योग के लिए 15 लाख रुपए तक एफसीआई का 25 प्रतिशत है।
- इस नीति के तहत बैटरी डिस्पोज़ल यूनिट स्थापित करने वाली इकाइयों को 100 करोड़ रुपए तक एफसीआई की 15 प्रतिशत प्रतिपूर्ति मिलेगी।
- यह नीति मौजूदा सूक्ष्म, लघु, मध्यम और बड़ी इकाइयों/ विनिर्माताओं के लिए 2 करोड़ रुपए तक बुक वैल्यू के 25 प्रतिशत ईवी निर्माण में बदलने की एकमुश्त सुविधा प्रदान करती है।

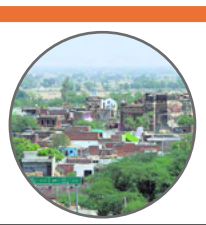

शहरी क्षेत्रों को भी लाल डोरामुक्त करने की प्रक्रिया शुरू ही चुकी है। लाल डोरा के अंदर परिसंपत्तियों की मैपिंग और ड्रोन फ्लाइंग इत्यादि की कार्य योजना तैयार करने के निर्देश हुए हैं।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लैंड बैंक नीति के तहत जिला उपायुक्तों को सम्पूर्ण भूमि का डाटा तैयार करने के निर्देश दिए हैं। चिह्नित भूमि की जीआईएस मैपिंग भी हो, ताकि सभी डाटा डिजिटल रूप में उपलब्ध हो सके।

गीता की प्रासंगिकता सदैव रहेगी

सृष्टि की समस्याओं का उत्तर देने वाला और संपूर्ण मानवता की समस्याओं का समाधान करने वाला ज्ञान श्रीमद्भगवद्गीता में निहित है। इसे हर मानव जाति को समझने की जरूरत है। गीता के इस ज्ञान के कारण ही धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र महाभारत की धरती के अलावा गीता की अवस्थली (लैंड ऑफ गीता) के रूप में जाना जाएगा।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ मोहन भागवत ने कुरुक्षेत्र के ब्रह्मसरोवर स्थित गीता ज्ञान संस्थानम में आयोजित 'भगवत गीता की वर्तमान प्रासंगिकता' पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, मुख्यमंत्री मनोहर लाल और गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज सहित अन्य गणमान्य अतिथिगण उपस्थित रहे।

डॉ मोहन भागवत ने कहा कि गीता किसी एक धर्म का ग्रंथ नहीं है बल्कि यह संपूर्ण दुनिया को मानवता का सार देने वाला ग्रंथ है। हिंदू परंपरा को यद्यपि गीता मिली है लेकिन उस पर किसी प्रकार का कोई पेटेंट नहीं है, यह तो विश्वधर्म है।

उन्होंने कहा कि सृष्टि में जब तक मानव जाति विद्यमान है तब तक गीता की प्रासंगिकता रहेगी। 5155 साल पहले इस भूमि पर इन बातों को बताया गया। इस ढंग से सृष्टि की समस्याओं का उत्तर देने वाला, सारी मानवता की समस्याओं का समाधान निकालने वाला ज्ञान गीता में है।

कुरुक्षेत्र को लैंड ऑफ श्री कृष्ण बनाना होगा

ज्योतिश्वर की पावन धरा का अपना एक महत्व है। धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र की नगरी का विकास करने के लिए कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड का गठन किया गया है। इस बोर्ड द्वारा 48 कोस सर्किट के तहत 164 स्थानों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। इन स्थानों पर स्थित मंदिरों और सरोवरों को विकसित किया जा रहा है। जिस प्रकार अंतरराष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव का भव्य तरीके से आयोजन किया जाता है उसी प्रकार आने वाले समय में श्री कृष्ण उत्सव भी मनाया जाएगा।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि श्री कृष्ण के विराट स्वरूप के अलावा विश्वस्तरीय संग्रहालय भी बनाया जा रहा है। इस संग्रहालय सहित अन्य कार्यों पर लगभग 200 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इस संग्रहालय में महाभारत और सरस्वती सभ्यता की व्याख्या होगी।

उल्लेखनीय है कि श्रीकृष्ण की अद्भुत प्रतिमा 40 फुट ऊंची है, जिसका वजन 35 टन के करीब है। इसकी विशेष बात यह है कि इसे चार प्रकार की धातुओं के मिश्रण से बनाया गया है, जिसमें 85 प्रतिशत तांबा और 15 प्रतिशत अन्य धातुओं का प्रयोग किया गया है। इस विराट स्वरूप में भगवान श्री कृष्ण के 9 स्वरूपों को दर्शाया गया है।

सीएम मनोहरलाल ने कहा कि जिस प्रकार कुरुक्षेत्र को अब से श्रीमद्भगवद्गीता की धरती के नाम से जाना जाएगा उसी प्रकार धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र को लैंड ऑफ श्री कृष्ण भी बनाना होगा। जिस प्रकार लोग श्री कृष्ण के विचारों और उनके जीवन का संदेश लेने के लिए वृंदावन, मथुरा व द्वारिका जाते हैं, उसी प्रकार कुरुक्षेत्र में भी आएंगे, क्योंकि वास्तव में जीवन का संदेश कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर दिया गया था।

सुण छबीले बोल रसीले

कर कै खा ले, लेकै दे दे उसतै कौण जबर हो सै

- रसीले बेरा ना किसी हवा चालगी। जिंघै देखै उघैं ए रिश्तां मं जामण सा लागग्या। कहणे का मतलब परिवार के सदस्यों में वा रौनक सी कोन्या रही जो होणी चाहिए। पहल्यां लोग हांसू-हांसू रहा करते, बेशक इतणी सुख सुविधा ना थी। ईब जितणी सुविधा, उतणी टेंशन।

- छबीले, सुख सुविधा होते होए भी घर-परिवार के सदस्यों में मेल मिलाप का टोटा दिखाई दे सै। इन हालातां में घर टूटण लागैं सैं। और एक बै टूटण शुरू होज्या सै तो फेर रिश्ते पटरी पै कोन्या आते।

- बेरा ना क्यों लोग थोड़े से लालच पै जात दे दे सैं। छबीले एक बात सै, सै तो पुराणी- 'बाप नफे का, मां टोटे की। होए की भाण, ना होए का मित्र। स्त्री पास की और पैंसा गांठ का।'

-हां रसीले, यो कहावत सै तो बहुत पुराणी, पर सै सही। अपवाद तो सबके हो सैं। पर कहावत बणैं जिबैं सैं जब वे सार्वजनिक रूप तैं सटीकता का प्रमाण दे ले सैं।

-यो कहावत जिसनै भी बणाई होगी बरसां के अनुभव के आधार पर बणाई होगी।

- रसीले, दादा लख्मी ने आपणी रागणियां में इसी-इसी बात कह राखी सैं अक उन बातां का अर्थ लिकाड़ण लागज्या तै मुश्किल होज्या। आज के हालातां का पहल्यां ए जिक्रा कर दिया था दादा नै।

एक रागनी सै-

कर कै खाले ले कै देदे उस तै कौण जबर हो सै
नुगरा माणस आंख बदलज्या समझणियां की मर हो सै

नुगरा कुत्ता रेतली धरती खुद इंसान डरै इस तै
सप्त ऋषि और धुरू भक्त का खुद ईमान डरै इस तै
रामायण महाभारत गीता बेद और पुराण डरै इस तै
और किस-किस का जिक्र करूं खुद भगवान डरै इस तै

खानदान का बाळक हो उसनै जात जाण का डर हो सै।

दुनिया मैं दो चीज बताई टोटा और साहूकारा
जिस माणस मैं टोटा आज्या भाई दे दे दुत्कारा
जिस धोरै दो आने होज्यां लागै सब नै प्यारा
एक बेल कै कई फल हों सैं कोए मीठा कोए खारा
भीड़ पड़ी मैं देख्या जा ना तै किसकै कौण बिसर हो सैं।

आदम देह नै जन्म धार कै करकै खाणा चाहिए
जैसी पड़ज्या वैसी ओटले परण निभाणा चाहिए
गिरता-गिरता गिर भी जा तै कितै ठिकाणा चाहिए
लखमीचन्द जिसा गाया करै उसा कर्म का गाणा चाहिए

गांव बिचाळै तख्त घलै जब पहलम चोट जिकर हो सैं।

- छबीले, घर गृहस्थी में त्याग तपस्या बहुत जरूरी हो सै। उस खातिर कोय त्यार नहीं। आपाधापी लागी रहै सै। यो भी मिलज्या, वो भी मिलल्या।

- घणा क्लेश तो यो ए सै। बेटा, बाप की मानै ना, बाप, बेटे की मानै ना। बीर-मर्द के झगड़े आम होगे। सहन शक्ति किसे में रही नहीं। माड़ी-सी बात पै दिमाग की सूई सौ पै जा सै। घर परिवार जिबै ठीक चाल्या करैं जब सारे जने एक दूसरे की इज्जत करैं, एक दूसरे की दुख तकलीफ नै समझैं,

एक दूसरे का सहयोग करैं, मदद करैं। एक भाई नै थोड़ा ऊंचा बोल भी दिया तो कोए आफत नहीं आगी। उसकी आराम तैं सुणो। कोए भी बात है, समस्या है उसपै मिल बैठकै चर्चा करो, समाधान करो। गली की समस्या है, गांव की समस्या है, रिश्तेदारों की कोई परेशानी है तो उसका बिना किसी लालच के सुलझाने का प्रयास करैं।

-एक बात तो देखी छबीले। जो आदमी घर परिवार में त्याग की भावना राखै सै वो खुश पावै सै। उसके घर में क्याएं की कमी कोन्या होती। भगवान उसके घर में सब क्याएं की मौज राखै सै। और जो दो आन्ने की हांडी पर जात दिखा दे सै वो पूरी जिंदगी बिरान रहै सै। उसकी समाज में कोय राम-रमी भी कोन्या होती। इसे ए फेर में उनकै बालक होज्यां सैं। उनके संस्कार न्यूं के न्यूं बदली होज्या सैं।

- रसीले एक-आध माणस तो घर परिवारां में इसा पाए जा सै जो निरभाग हो। हालांकि इसा भी नहीं होणा चाहिए, क्योंकि न्यू कहा करैं एक भैंस सोयां नै लिवाड़ै।

- छबीले, हवा परवा नहीं, पछवा चाल री सैं। कौण टिक्या रहैगा, कौण नहीं, इसकी कोई गारंटी कोन्या। पर फेर भी आपणा और आपणे परिवार के सदस्यों का ख्याल राखणा पहली बात सै। दूसरी बात पड़ौसी हो या रिश्तेदार सबतैं बणाकै राखो। जितणा हो सकै एक दूसरे का सहयोग करो। एक दूसरे की इज्जत करो।

-याद आया रसीले, समाज में इसै तरियां का मेल-जोल व प्यार-प्रेम बढ़ाणे के लिए हरियाणा सरकार एक कार्यक्रम लेकै आण लाग री सै। जिसका नाम सै 'समर्पण'। इस कार्यक्रम के तहत समाज में समरसता की पींग बढ़ाने का प्रयास करया जावैगा, ताकि 'हरियाणा एक हरियाणवी एक' की भावना को बल मिलै।

-रसीले, प्यार-प्रेम तो जिब बढ़ैगा जिब इस बरसात के मौसम में भाभी नै कहकै गर्मागर्म गुलगुले और पकौड़े तरवाकै मनै जिमावैगा।

- मनोज प्रभाकर

सामण का गीत

आया तीजां का त्योहार
आज मेरा बीरा आवैगा
सामण में बादल छाए
सखियां नै झुले पाए
मैं कर लूं मौज बहार
आज मेरा बीरा आवैगा
आया तीजां का त्योहार
आज मेरा बीरा आवैगा
मेरे मन में चाव घणा सै
क्या सुंदर समै बणा सै
मन्नै कर दयो तुरत तैयार
आज मेरा बीरा आवैगा
आया तीजां का त्योहार
आज मेरा बीरा आवैगा

डॉ अमित अग्रवाल, भा.प्र.से. प्रबंध निदेशक, संवाद (सूचना जन संपर्क एवं भाषा विभाग) हरियाणा द्वारा हरियाणा सरकार के लिए कमरा नं. 314, दूसरी मंजिल, लघु सचिवालय, सेक्टर-1, पंचकूला से प्रकाशित।
कार्यालय : संवाद सोसायटी एससीओ 23, पहली मंजिल, सेक्टर 7, चंडीगढ़ फोन : 0172-2723814, 2723812 email : editorsamvad@gmail.com